

शासकीय बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय (स्वशासी समिति) सागर (म.प्र.)

website :- [www.bmcsagar.deu.in](http://www.bmcsagar.deu.in)  
Email :- [bmcsagar@mp.gov.in](mailto:bmcsagar@mp.gov.in)



फोन नं. 07582-236270  
फैक्स नं. 07582-236457



**चिकित्सालय में भर्ती मरीजों हेतु प्रतिदिन  
की डाइट प्रदाय करने के कार्य हेतु निविदा**

# निविदा प्रपत्र एवं शर्तें

## 1. कार्य का नाम :-

बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय स्वषासी समिति से संबद्ध चिकित्सालय में भर्ती होने वाले प्रत्येक मरीज के लिए, शासन निर्देशानुसार डाइट/दूध प्रदाय करना। (संलग्न डाइट चार्ट)

## 2. निविदा धरोहर राशि :-

निविदादाता को निविदा के साथ न्यूनतम अग्रिम धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) रु. 50,000/- (रु. पचास हजार मात्र) की एफ.डी.आर जो अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर एवं संबंधित फर्म के नामे एवं सागर में भुगतारित (निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अग्रिम धरोहर राशि संलग्न अथवा प्राप्त न होने पर निविदा अमान्य हो जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

सफल निविदाकार की धरोहर राशि महाविद्यालय में निविदा अवधि पूर्ण होने तक जमा रहेगी, निविदा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने एवं कोई भी अदाएगी शेष न रहने पर वापिस की जाएगी। शेष असफल निविदादाताओं की निविदा धरोहर राशि, आवेदन देने पर तुरंत वापिस की जाएगी।

निविदा निरस्त अथवा अस्वीकृत होने पर निविदा मूल्य राशि रु. 500/- (रु. पाँच सौ मात्र) वापिसी योग्य नहीं है।

## 3. निविदा की समयावधि :-

अनुबंध के अनुसार निविदा एक वर्ष के लिए मान्य होगी। निविदा काल स्वीकृत दिनांक से प्रथमतः छः माह की होगी, कार्य संतोषजनक पाए जाने पर इस अवधि को आगामी छः माह के लिए निरंतर रखा जा सकेगा एवं कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर, एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर महाविद्यालय की क्रय समिति एवं कार्यकारिणी समिति की अनुषंसा पर कैंटीन निविदा आगामी एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। किन्तु बड़े हुए वर्ष हेतु निविदा, स्थल किराया राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मान्य होगी। निविदा की अवधि, कुल दो वर्ष से अधिक नहीं की जा सकेगी।

## 4. निविदा का प्रारूप एवं प्रस्तुति विधि :-

निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र को अच्छी तरह से पढ़ने के उपरांत स्पष्ट शब्दों में स्याही या टाईप से भरा जाना आवश्यक होगा। प्रत्येक पृष्ठ एवं प्रस्तुत अभिलेख पर निविदादाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की सील लगानी होगी। निविदा प्रपत्र में कोई सुधार (Correction/Overwriting) मान्य नहीं किया जाएगा। यदि सुधार करना आवश्यक हो तो स्पष्ट रूप से पुनः लिखकर अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करना होगा।

निविदा फार्म तीन हिस्सों में प्रस्तुत किया जाना है, तीनों हिस्से अलग-अलग सील बंद तीन लिफाफों के साथ एक बड़े लिफाफे में रखकर उसके ऊपर “मरीजो हेतु भोजन प्रदाय हेतु निविदा, निविदा वर्ष 2015-16” लिखकर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रथम लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम एवं अग्रिम धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) लिखकर उसके अंदर सिर्फ कार्य की अग्रिम धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) का बैंक ड्राफ्ट रखें। बैंक ड्राफ्ट के पीछे फर्म का नाम, कार्य का नाम अवश्य लिखें। इस लिफाफे को “A” नाम दें। द्वितीय लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम एवं तकनीकी निविदा लिखकर उसके अंदर निविदा फार्म एवं आवश्यक संलग्नक अपने हस्ताक्षर एवं सील लगाकर रखें। इस लिफाफे को “B” नाम दें। तृतीय लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम एवं वित्तीय निविदा लिखकर उसके अंदर कार्य निविदा दर निर्धारित परिषिष्ट में भरकर अपने हस्ताक्षर एवं सील लगाकर सील बंद लिफाफे में रखें। इस लिफाफे को “C” नाम दें।

उपरोक्त तीनों सील बंद लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में सीलबंद कर, लिफाफे के ऊपर “मरीजो हेतु भोजन प्रदाय हेतु निविदा, निविदा वर्ष 2015-16” प्रस्तुत करना चाहिए। प्रत्येक लिफाफे पर निविदादाता का नाम व पता अवश्य लिखा होना चाहिए।

#### 5. निविदा प्रपत्र का विक्रय :-

निविदा प्रपत्र, अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के कार्यालयीन दिवस एवं समय (प्रातः 10:30 बजे से सायं 5:00 बजे तक) में स्वषासी शाखा से दिनांक 10.09.2015 प्राप्त की जा सकती है। साथ ही इंटरनेट से भी हमारी वेबसाइट [www.bmcsagar.edu.in](http://www.bmcsagar.edu.in) से चालान फार्म डाउनलोड कर, भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में निविदा शुल्क जमा कर, निविदा डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है। किन्तु डाउनलोड निविदा जमा करते समय निविदा शुल्क चालान/बैंक ड्राफ्ट की मूल कार्यालयीन प्रति आवश्यक रूप से, जमा करानी होगी अन्यथा आपकी निविदा अमान्य स्वतः निरस्त हो जाएगी।

भोजन निर्माण स्थल का भौतिक निरीक्षण आपके द्वारा, कार्यालयीन समय में चिकित्सालय परिसर में आकर किया जा सकता है।

#### 6. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि :-

निर्धारित प्रपत्र मोहर बंद लिफाफे में जिसके ऊपर “मरीजो हेतु भोजन प्रदाय हेतु निविदा वर्ष 2015-16” अंकित कर अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के कार्यालय में दिनांक 22.09.2015 को दोपहर 1:00 बजे तक जमा की जा सकती है। निर्धारित समयावधि पश्चात कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। डाक विलंब हेतु कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर द्वारा अंतिम तिथि बढ़ाए जाने का निर्णय लिया जा सकता है। निविदाकार फर्म को, निविदा प्रपत्र में प्रत्येक पृष्ठ एवं संलग्नक पर हस्ताक्षर एवं सील अंकित होना चाहिए तथा निविदा स्पष्ट होना चाहिए, कांट-छांट नहीं होना चाहिए। अपूर्ण निविदा अस्वीकृत की जावेगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का होगा। निविदा के साथ संलग्न किए जाने वाले संलग्नक, स्वयं के द्वारा सत्यापित एवं सील लगाना अनिवार्य होगा।

## 7. निविदा खोलने की तिथि :-

दिनांक 22.09.2015 को दोपहर 3:00 बजे अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के बैठक कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित क्रय समिति के सदस्यों, निविदादाता अथवा निविदादाता फर्म के प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष निविदाएँ खोली जाएगी। संपूर्ण कार्यवाही पंजी में इन्द्राज की जाएगी, जिस पर सभी उपस्थित सदस्यों एवं प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। विशेष परिस्थितियों में अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर द्वारा निविदा खोलने की तिथि बढ़ाए जाने का निर्णय लिया जा सकता है।

निविदाओं के अंदर प्राप्त होने वाले तीनों लिफाफें क्रमशः उसी दिन खोले जाएंगे। जिन निविदादाताओं की ई.एम.डी. प्राप्त होगी, उनकी ही तकनीकी निविदाएँ खोली जाएंगी। जो निविदादाता तकनीकी निविदा में योग्यता रखते होंगे उनकी ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी। जिन निविदादाताओं की निविदाएँ अपूर्ण एवं अस्पष्ट होंगी, वह क्रय समिति द्वारा अमान्य की जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

## 8. निविदा का परीक्षण एवं चयन :-

समिति के सदस्यों द्वारा सभी निविदाओं का सूक्ष्म परीक्षण किया जाएगा तथा चाहे गए सभी अभिलेखों के विप्लेषण के आधार पर तुलनात्मक पत्रक तैयार किया जाएगा। जिस निविदादाता फर्म द्वारा भोजन निर्माण स्थल का किराया अधिकतम दिया जाएगा, उसे चयनित किया जाएगा। यदि एक से अधिक निविदादाता की दरें बराबर होंगी तो उस स्थिति में निविदादाता के कार्यानुभव की अधिकता को वरीयता दी जावेगी। अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकार होगा कि एक या अधिक दरों को या न्यूनतम/अधिकतम दर वाली फर्म को यदि वह उचित समझता है तो बिना किसी कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकेगा तथा इस संबंध में अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। निविदा में उल्लेखित कार्यक्षेत्र में बगैर सूचना के किसी भी समय परिवर्तन करने या निविदा निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर को होगा।

## 9. लायसेंस की अनिवार्यता :-

निविदादाता फर्म के पास खाद्य विभाग द्वारा जारी भोजन संचालन संबंधी लायसेंस होना अनिवार्य है। निविदा फर्म के तकनीकी निविदा प्रपत्र में, चाहे गए समस्त दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ फर्म को स्वयं के हस्ताक्षर व सील लगाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

## 10. अनुबंध :-

सफल निविदाकार को अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के साथ एक वर्ष के लिए महाविद्यालय में "मरीजो हेतु भोजन प्रदाय हेतु निविदा, निविदा वर्ष 2015-16" कार्य हेतु अनुबंध कराना अनिवार्य होगा। इस हेतु निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर नोटरी इत्यादि का व्यय निविदादाता को स्वयं वहन करना होगा। अनुबंध में निविदा की अवधि प्रथमतः छः माह एवं तत्पश्चात कार्य संतोषजनक होने पर आगामी छः माह लिए मान्य होगी, किन्तु स्वीकृत निविदा दरों में कोई भी परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

## 11. निविदा का चयन :-

विज्ञप्त भोजन प्रदाय निविदा त्रिस्तरीय होगी। जिसमें प्रथमतः जिन निविदादाताओं की धरोहर राशि प्राप्त होगी, उन्हीं की तकनीकी निविदाएँ खोली जाएंगी एवं जो तकनीकी निविदा में सफल हुए होंगे, उन्हीं निविदादाताओं की वित्तीय निविदाएँ खोली जाएंगी। जिस निविदादाता फर्म द्वारा भोजन निर्माण स्थल का किराया अधिकतम दिया जाएगा, उसे ही "मरीजो हेतु भोजन प्रदाय हेतु निविदा, निविदा वर्ष 2015-16" का कार्य, अनुबंध एवं किराया राशि जमा करने पर प्रदान किया जाएगा। किसी भी स्तर में निविदादाता की विफलता का संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं निविदादाता का होगा।

इसके अतिरिक्त बिजली/पानी, साफ-सफाई एवं सुरक्षा इत्यादि व्यय हेतु पृथक से व्यय राशि निविदा में स्वीकृत की गई है।

## 12. मरीजो हेतु भोजन प्रदाय निविदा संचालन की अनिवार्य (अनुबंध) शर्तें :-

- (i) सफल निविदादाता फर्म को मासिक किराया, प्रतिमाह अग्रिम रूप से प्रतिमाह चालान के माध्यम से महाविद्यालय के पावर ज्योति खाते में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
- (ii) सफल निविदादाता को चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को भोजन स्थल से वार्ड एवं पलंग तक शासन द्वारा निर्धारित डाइट (संलग्न सूची अनुसार) पकाकर एवं स्वच्छ थाली में परोसकर "दोनों समय", शासन द्वारा निर्धारित राशि (वर्तमान में राशि रु. 44.00 प्रतिदिन प्रति मरीज) में उपलब्ध कराना, प्रथम एवं अनिवार्य दायित्व होगा, गर्भवती महिलाओं के लिए शासन द्वारा निर्धारित स्पेशल डाइट, स्पेशल दर पर प्रदाय की जाना होगी। मरीजों के भोजन देयक का मासिक भुगतान चिकित्सालय प्रशासन द्वारा देयक सत्यापन पश्चात फर्म को किया जाएगा। मरीजों को प्रदाय किए जाने वाली डाइट, का भौतिक परीक्षण कभी भी किया जा सकेगा, भौतिक निरीक्षण में कमी अथवा मानक स्तर का भोजन न पाए जाने पर फर्म पर अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का होगा। अनुबंध हेतु स्टाम्प पेपर व नोटरी कार्य का संपूर्ण व्यय निविदादाता फर्म द्वारा किया जाएगा।
- (iii) अनुबंध करने की तिथि से प्रथमतः आपको छः माह हेतु संचालन की अनुमति प्रदान की जाएगी। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर आगामी छःमाह की वृद्धि की जाएगी। क्रय समिति की अनुषंसा पर कैंन्टीन निविदा आगामी एक वर्ष के लिए, किराया राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि एवं संलग्न भोजन दर पत्रक अनुसार, फर्म के आवेदन पर बढ़ाई जा सकेगी।
- (iv) भोजन निर्माण स्थल से प्रदाय अथवा बनाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, उच्च एवं खाद्य विभाग के मानक स्तर की होनी चाहिए। खाद्य विभाग द्वारा उच्च गुणवत्ता का भोजन प्रदान करने संबंधी प्रमाण पत्र प्रतिमाह अनिवार्य रूप से जमा कराया जाना होगा एवं इसी आधार पर देयक का सत्यापन किया जाएगा।
- (v) भोजन निर्माण स्थल से, मरीजों को खाना प्रदाय करने के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री का क्रय/विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन करने पर निविदा

- निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार फर्म का होगा।
- (vi) भोजन निर्माण स्थल से मरीजों को प्रदाय की जाने वाली खाद्य सामग्री, निम्न अथवा खाद्य विभाग के मानक स्तर की न होने पर महाविद्यालय या चिकित्सालय प्रशासन द्वारा निविदादाता फर्म पर अर्थदण्ड के रूप में न्यूनतम राशि रु. 200.00 एवं अधिकतम राशि रु. 5000.00 तक का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है। जिसे फर्म को जमा कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा फर्म की निविदा निरस्त करते हुए, अग्रिम धरोहर राशि राजसात करते हुए द्वितीय निविदाकार को निविदा प्रदान की जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तर दायित्व प्रथम निविदादाता फर्म का होगा।
- (vii) समय-समय पर होने वाले विभिन्न आयोजन पर आपको महाविद्यालय प्रशासन द्वारा दिए गए आदेशानुसार स्वल्पाहार/भोजन प्रदाय करना अनिवार्य होगा। जिसका भुगतान नियमानुसार महाविद्यालय द्वारा फर्म को किया जाएगा।
- (viii) निविदादाता फर्म स्वयं अथवा अन्य किसी भी कारण से निविदा कार्य करने में असफल होता है या स्वयं कार्य छोड़ता है। तो नियमानुसार जमा अग्रिम धरोहर राशि से 25 प्रतिशत राशि कटौती कर शेष राशि ही वापिस की जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का होगा एवं ऐसी स्थिति में द्वितीय निविदादाता फर्म को कार्यादेश जारी करते हुए प्रथम निविदाकार का अधिकार समाप्त किया जाएगा।
- (ix) निविदाकार फर्म को, भोजन बनाने एवं प्रदाय करने हेतु शासन द्वारा निर्धारित समस्त आवश्यक रजिस्ट्रेशन, स्वयं के व्यय से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा कि स्थिति में निविदा निरस्त करते हुए, अग्रिम धरोहर राशि राजसात कर, द्वितीय निविदादाता को निविदा प्रदान की जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रथम निविदादाता का होगा।
- (x) महाविद्यालय द्वारा निविदाकार फर्म को, भोजन निर्माण स्थल ही उपलब्ध कराया जाएगा, फर्म द्वारा उत्तम क्वालिटी की क्रॉकरी, एवं अन्य सामग्री की सुविधाएँ स्वयं के व्यय से उपलब्ध करानी होंगी। महाविद्यालय द्वारा लाईट एवं पंखे उपलब्ध कराए जाएंगे। निविदावधि में जिसका रख-रखाव फर्म द्वारा किया जाएगा।
- (xi) फर्म द्वारा, भोजन निर्माण स्थल में उपयोग की जाने वाली विद्युत का मासिक भुगतान, मासिक किराए के अतिरिक्त पृथक से, सबमीटर की रीडिंग एवं विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित उच्च दाव विद्युत दर पर करना अनिवार्य होगा।
- (xii) निविदादाता फर्म को, भोजन निर्माण स्थल में पानी सप्लाई हेतु मासिक किराए के अतिरिक्त पृथक से, राशि रु. 250.00 प्रतिमाह जमा कराना अनिवार्य होगा।
- (xiii) निविदादाता फर्म को, भोजन निर्माण स्थल की साफ-सफाई/सुरक्षा व्यवस्था हेतु मासिक किराए के अतिरिक्त पृथक से, राशि रु. 1500.00 प्रतिमाह जमा कराना होगा। उक्त व्यवस्था वैकल्पिक होगी। सफल निविदादाता को अनुबंध के समय विकल्प चुनना

- होगा कि वह स्वयं यह व्यवस्था करेगा अथवा महाविद्यालय द्वारा प्रदाय सेवा का लाभ लेगा।
- (xiv) निविदाकार फर्म को भोजन बनाने एवं प्रदाय हेतु, खाद्य विभाग द्वारा निर्धारित मानको का पालन करना अनिवार्य होगा। उनके द्वारा किए जाने वाले औचक निरीक्षण में पाई गई कमियों/अनियमितताओं/अर्थदण्ड इत्यादि का संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
- (xv) किसी भी व्यक्ति या संस्था के पक्ष में निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने अथवा बीच में ही बिना किसी कारण बताए निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार, बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज, सागर का होगा।
- (xvi) निविदाकार फर्म को, शासकीय कार्य में ब्लेक लिस्टेड न होने एवं निविदा प्रपत्र में भरी जानकारी तथा संलग्नकों के सत्य होने संबंधी शपथ पत्र निर्धारित राशि के स्टाम्प पर जमा कराना अनिवार्य होगा। (स्टाम्प का प्रारूप संलग्न है)
- (xvii) निविदाकार फर्म, निविदा संचालन हेतु बाल श्रमिकों को नियुक्त नहीं करेगा। तथा निविदाकार फर्म द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति समस्त शासकीय विभागों जैसे— श्रम विभाग इत्यादि के मापदण्डों का पालन किया जाना होगा।
- (xviii) निविदाकार फर्म से किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में, अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- (xix) भोजन प्रदाय हेतु कार्य स्थल खुलने एवं बंद होने का समय प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक, कैलेंडर वर्ष के संपूर्ण दिवस रहेगा। जिसमें समयानुसार चाय/दूध/स्वल्पाहार/भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना निविदादाता फर्म का उत्तरदायित्व होगा।
- (xx) वैकल्पिक रूप से, निविदाकार फर्म चाहे तो शासकीय चिकित्सालय में रियायत दर पर खाद्य सामग्री जैसे गेहूँ/चावल/दाल/नमक/षक्कर इत्यादि स्वयं के प्रयास एवं उत्तरदायित्व पर शासकीय संस्थानों से प्राप्त कर सकती है। इस हेतु महाविद्यालय प्रशासन केवल अनुषंसा ही कर सकेगा। शासकीय खाद्य सामग्री का स्टॉक रख-रखाव फर्म को स्वयं ही करना होगा। तथा खाद्य सामग्री के रख-रखाव एवं मिलावट में होने वाली किसी भी कार्यवाही हेतु वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा। ऐसी अवस्था में महाविद्यालय प्रशासन निष्पक्ष रहेगा।
- (xxi) निविदा शुरू करने के पूर्व निविदाकार को भोजन निर्माण स्थल का चार्ज समिति से लिखित में प्राप्त करना होगा तथा निविदा अवधि पूर्ण होने पर तुरंत निविदाकार अपना निजी सामान भोजन निर्माण स्थल से हटाकर 3 दिन के अंदर समिति को अथवा अधिष्ठाता द्वारा आदेशित व्यक्ति को सौंपना अनिवार्य होगा।
- (xxii) निष्चित अवधि के बाद भोजन निर्माण स्थल अथवा उसके किसी भी भाग का आधिपत्य न देना शासकीय भूमि व संपत्ति पर अनाधिकृत अतिक्रमण माना जाएगा तथा इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी तथा उसमें जो भी व्यय होगा वह निविदाकार की

- धरोहर राषि से वसूल किया जाएगा। भोजन निर्माण स्थल के अलावा अन्य कहीं भी सामान रखना शासकीय भवन में अतिक्रमण माना जावेगा। जिसके विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
- (xxiii) भोजन निर्माण स्थल के स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का निर्माण संबंधी कार्य नहीं किया जाए। यदि आवश्यक है तो अधिष्ठाता महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर, कार्य संपादित कराया जाए। केन्टीन भवन में किसी भी प्रकार के नुकसान होने पर उसकी क्षतिपूर्ति निविदाकार की धरोहर राषि से पूर्ण की जाएगी।
- (xxiv) निविदादाता को "मरीजो हेतु भोजन प्रदाय हेतु निविदा, निविदा वर्ष 2015-16" का कार्य, स्वयं चलाना होगा। वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को हस्तारित अथवा सबलेट नहीं कर सकेगा।
- (xxv) भोजन निर्माण स्थल में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का क्रय-विक्रय नहीं किया जाएगा तथा निविदादाता या उसके कर्मचारी आदि कोई भी मादक पदार्थ का उपयोग नहीं करेंगे। निविदादाता किसी भी व्यक्ति को मादक पदार्थ बाहर से लाकर भोजन निर्माण स्थल में उपयोग करने के लिए अनुमति नहीं देगा।
- (xxvi) भोजन निर्माण स्थल में किसी भी प्रकार का न्यूसेंस, आपत्तिजनक शोरगुल पूर्णतः निषेध रहेगा। स्थल पर अनुषासन व शांति बनाए रखना निविदादाता का ही कर्तव्य होगा।
- (xxvii) भोजन निर्माण स्थल में ईंधन के लिए एल.पी.जी. गैस का ही उपयोग किया जाएगा।
- (xxviii) भोजन निर्माण स्थल में निविदादाता को आवश्यकता अनुसार कर्मचारी रखना होंगे। उनके पोषाक एक समान एवं साफ-सुथरी होगी। कर्मचारी का आचरण अनुकूल एवं वेषभूषा सभ्य होनी चाहिए। सभी कर्मचारियों की पोषाक पर, संबंधित की नेम प्लेट एवं आई.डी. होना आवश्यक होगा।
- (xxix) निविदादाता फर्म को स्वयं के व्यय पर निविदा कार्य हेतु नियुक्त किए गए कर्मचारियों के चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं संबंधित थाने से चरित्र प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कर्मचारियों के बदलने पर नए कर्मचारियों हेतु उक्त नियम लागू होगा।
- (xxx) निविदादाता फर्म बीमार व्यक्ति, अतिबृद्ध व्यक्ति को निविदा कार्य हेतु नहीं रखेगी। साथ ही नियुक्त कर्मचारियों के समय-समय पर स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी।
- (xxxi) निविदादाता अपनी किसी भी प्रकार की हानि के लिए स्वयं ही जबावदार होगा।
- (xxxii) ऊपर दी गई शर्तों के अलावा ठेकेदार द्वारा दी गई शर्त मान्य नहीं होगी। किसी भी न्यायालीन कार्यवाही के लिए कार्यक्षेत्र सागर होगा।



- (xxxiii) अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज, सागर को ऊपर दी गई शर्तों में कमी अथवा संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है/रहेगा।
- (xxxiv) इस संबंध में किसी भी प्रकार के आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार, आयुक्त, सागर संभाग सागर एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति का होगा व उनका निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
- (xxxv) निविदाकार फर्म को, उपरोक्त निविदा कार्य हेतु बी0एससी.ह्यूमन न्यूट्रीषियन अथवा बी.एससी. (आहार विषय) योग्यताधारी आहार विशेषज्ञ रखना अनिवार्य होगा।
- (xxxvi) निविदादाता दी गई जानकारी असत्य, संलग्नक फर्जी पाए जाने पर निविदा निरस्त करते हुए, जमा धरोहर राशि राजसात करते हुए, वैधानिक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।
- (xxxvii) निविदादाता फर्म अथवा उसके संचालक को न तो किसी शासकीय कार्यालय द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया हो, और न ही फर्म अथवा संचालक के विरुद्ध किसी भी सक्षम अधिकारी के न्यायालय में अथवा खाद्य विभाग में अमानक स्तर की सामग्री से संबंधित प्रकरण प्रचलन में हो।
- (xxxviii) भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा समस्त लागू कर, मरीजों को प्रदाय की जाने वाली व्यवस्था हेतु प्रदाय किए जा रहे देयक से कटौती कर, जमा कराए जाएंगे।
- (xxxix) अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज, सागर को कोई भी निविदा किसी भी समय स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार है/रहेगा।

### 13. निविदा हेतु आवश्यक संलग्नकों की सूची :-

उपरोक्त निविदा प्रपत्र, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता फर्म के प्रोपराईटर अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं सील हो निम्न संलग्नकों के साथ एक सील बंद लिफाफे में जिसके ऊपर कैंटीन संचालन की तकनीकी निविदा **Envelope- "B"** लिखकर, रखें :-

क्रमांक	विवरण	संलग्न है अथवा नहीं
1	खाद्य विभाग द्वारा जारी भोजन बनाने एवं प्रदाय संबंधी लायसेंस	
2	फर्म/प्रोपराईटर का आयकर नम्बर	
3	आयकर चुकता प्रमाण पत्र गत वित्तीय वर्ष का	
4	निर्धारित राशि के स्टाम्प पर शपथ पत्र (अनिवार्य संलग्न प्रारूप में)	
5	भोजन बनाने एवं प्रदाय करने संबंधी अनुभव (यदि है तो)	
6	अन्य कोई यदि हो तो	

(निर्धारित राशि के स्टाम्प पर घोषण पत्र नोटरी कर संलग्न करना अनिवार्य है)

## घोषणा पत्र

मैं. .... (निविदादाता का नाम/फर्म का नाम) पता ..... शपथ पूर्वक सत्य घोषणा करता हूँ कि मैंने पूर्ण होष एवं ध्यान से निविदा प्रपत्र एवं निविदा प्रपत्र की शर्तें पूर्णतः पढ़ ली है तथा मुझे सभी शर्तें पूर्णतः मंजूर है। तथा मेरे द्वारा दी गई जानकारी/संलग्नक पूर्णतः सत्य है। किसी भी प्रकार की जानकारी असत्य पाएँ जाने पर मेरी निविदा तत्काल निरस्त कर, वैधानिक कार्यवाही करने हेतु सहमति प्रदान करता हूँ। साथ ही शपथ पूर्वक सत्य घोषणा करता हूँ कि मेरी फर्म अथवा व्यक्तिगत मुझे, किसी भी शासकीय कार्यालय द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है और न ही मेरी फर्म अथवा मेरे नाम से खाद्य विभाग में अमानक सामग्री संबंधी कोई प्रकरण पंजीबद्ध है।

गवाह हस्ताक्षर

1. पूरा नाम :- .....

पता :- .....

.....

2. पूरा नाम :- .....

पता :- .....

.....

हस्ताक्षर .....

निविदादाता फर्म का नाम .....

पता :- .....

मोबाईल नं. :- .....

वित्तीय निविदा प्रपत्र

प्रति,

श्रीमान अधिष्ठाता,  
बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय,  
सागर (म.प्र.)।

विषय :- "मरीजो हेतु भोजन प्रदाय हेतु निविदा, निविदा वर्ष 2015-16" की वित्तीय निविदा।

आपके द्वारा ..... (समाचार पत्र का नाम) में दि. ....  
को प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में मैं महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय में "मरीजो हेतु भोजन प्रदाय हेतु निविदा, निविदा वर्ष 2015-16" हेतु निम्नानुसार निविदा प्रस्तुत करता हूँ, मेरे द्वारा निविदा की समस्त शर्तें मान्य हैं तथा फर्म द्वारा शासन द्वारा निर्धारित डाइट, निर्धारित दर (वर्तमान में रु. 44/- प्रतिदिन) पर पकाकर, स्वच्छ थाली में परोसकर, निर्धारित समय में मरीजों को उनके पलंग तक उपलब्ध कराया जाएगा।

उक्त कार्य हेतु मेरे द्वारा भोजन निर्माण स्थल का अधिकतम किराया रु. ....  
(षट्कों में रु. .... मात्र) प्रतिमाह अग्रिम, महाविद्यालय के पावर ज्योति खाता में चालान के माध्यम से जमा किया जाएगा।

निविदादाता फर्म का नाम एवं पूर्ण पता :- ..... निविदादाता फर्म प्रमुख के हस्ताक्षर :- .....

..... निविदादाता फर्म प्रमुख का नाम :- .....

दूरभाष/फैक्स क्रं. :- ..... निविदादाता फर्म की सील :- .....

मोबाइल नं. :- .....

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा  
मध्यप्रदेश

386-04

क्रमांक...../2/बजट/संचिशि/15  
प्रति:

मोपाल, दिनांक २ जनवरी-15

1. अधिकाता,  
चिकित्सा महाविद्यालय,  
मोपाल/इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर/सीवा/सागर,
2. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक,  
चिकित्सा महाविद्यालय से सबद्ध चिकित्सालय  
मोपाल/इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर/सीवा
3. अधीक्षक,  
सुल्तानिया जनाना चिकित्सालय,  
मोपाल
4. अधीक्षक,  
मानसिक चिकित्सालय,  
इन्दौर
5. संचालक  
मानसिक आरोग्यशाला  
ग्वालियर।
6. प्राचार्य,  
दंत चिकित्सा महाविद्यालय,  
इंदौर
7. प्राचार्य,  
नर्सिंग महाविद्यालय,  
इंदौर
8. अधीक्षक,  
चाया नेहरु बाल चिकित्सालय,  
इन्दौर
9. अधीक्षक,  
केंसर चिकित्सालय,  
इन्दौर/जबलपुर


विषय :- भोजन की दरों में वृद्धि ।

संदर्भ :- राज्य शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग की अधिसूचना पत्र क्रमांक  
एफ-4-19/2011/55-2 दिनांक 30.10.2014।

\*\*\*

राज्य शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग की अधिसूचना पत्र क्रमांक  
एफ-4-19/2011/55-2 दिनांक 30.10.2014 की आपकी ओर प्रेषित की गई है।  
जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्रेषित की जा रही है।  
संलग्न : एक

संयुक्त संचालक, वित्त  
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा  
मध्यप्रदेश



मध्यप्रदेश शासन  
चिकित्सा शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

10/7/14  
का प्रपत्र

--: अधिसूचना :-

भोपाल, दिनांक 30 / 10 / 2014

एक-4-19/2011/55-2 :: राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एक-4-28/76/17/मेडि-2, दिनांक 04/07/1983 तथा एवं ए-8-46/2005/3/55 दिनांक 26/08/2008 एवं मेडिकल मैनुअल (संशोधित प्रकाशन 1940) के पैरा 476 में निम्नानुसार संशोधन करता

संशोधन

इस विभाग के अधीन चिकित्सा/ दंत महाविद्यालयों तथा चिकित्सालयों के आंतरिक रोगियों के लिये निर्धारित भोजन पर होने वाला व्यय रु. 30.00 से बढ़ा कर 44.00 (रुपये चावालीस मात्र) प्रतिदिन आंतरिक रोगियों के लिये निम्न तालिका अनुसार निर्धारित करता है:-

क्र.	स्वीकृत आहार	मात्रा ग्राम में	कीमत रु. में
1	घायल/दलिया/आटा	400	11.00
2	दाल	85	5.70
3	हरी सब्जी	114	2.20
4	सलाद	85	1.00
5	सब्जी मसाला	85	2.40
6	फल	85	2.85
7	दूध	241	6.60
8	शक्कर/गुड	57	2.20
9	घी/तेल	57	5.30
10	ईंधन	1000	4.75
कुल योग			44.00


यह स्वीकृति वित्त विभाग के आदेश क्र. यूओ.634/आर-803/बी-6/14 दिनांक 26/08/2014 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(संजीव श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
चिकित्सा शिक्षा विभाग



भोपाल, दिनांक 30/10/2014

4-10/2011/55-2

1. संचालक, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
2. संचालक, चिकित्सा शिक्षा भोपाल।
3. संचालक, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर।
4. संचालक एवं अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सालय, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर।
5. संचालक, इंदौर चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर।
6. संचालक, मानसिक चिकित्सालय, इन्दौर/ सुल्तानिया जनाना हॉस्पिटल, भोपाल, चाचा नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र, इन्दौर/ कैंसर चिकित्सालय इन्दौर/ जबलपुर।
7. निबंधक, शासकीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर कृपया आगामी राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 250 प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
8. संपुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ मंत्रालय, भोपाल।

29-10-14

उप सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
चिकित्सा शिक्षा विभाग.



संयोजक के  
13/11/15

13/11/15

13/11/15

14/11/15



